आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
23-09-2014	(see below)	

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-सी0आर0एम0-08/2010-11

<u>आदेश</u>

महम्मद क्यूम

बनाम

बिहार सरकार

यह वाद पुलिस अधीक्षक पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 1654/सी0आर0, दिनांक–30.04.2010 द्वारा बेतिया नगर थाना कांड संख्या–255/2009 दिनांक–26.08.2009 धारा 409 भा0द0वि0 अन्तर्गत जब्त चार बोरा चावल को राजसात करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राथमिकि एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक–26.08.2009 को तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के कार्यालय से सूचना मिली कि मध्य विद्यालय बसवरिया में लोगों ने चावल पकड़ा है जो बेचने के उद्देश्य से बाहर ले जाया जा रहा था। उनके द्वारा स्थल पर 4(चार) बोरा चावल सड़क पर पकड़ा गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि चावल साफ कराने के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन सूचक द्वारा अंकित किया गया है कि चावल ठीक था साफ कराने की आवश्यकता नही थी। उनकें द्वारा कहा गया कि चावल को बाहर ले जाने के लिए विधालय शिक्षा समिति की सहमति की आवश्यकता है। उपस्थित लोगो द्वारा बताया गया कि चावल बेचने के उदेश्य से ले जाया जा रहा था तथा इसके पहले भी कई बार बेचा गया है।

उक्त आरोप के आलोक में मो0 क्यूम, प्रधानाध्यापक मध्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

विद्यालय बसवरिया के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या–255 / 2009 धारा 409 अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (बी0)में निहित प्रावधान के अन्तर्गत अधिग्रहण की जानेवाली सामाग्री के स्वामी को नोटिश निर्गत किया गया।

विपक्षी मो0 क्यूम द्वारा कारण पृच्छा दिया गया कि जप्त किया गया मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न सरकारी सम्पति है। इस संबंध में भा0द0वि0 की धारा 409 के तहत् काण्ड दर्ज है तथा खाद्यान्न जब्त है। जब तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज नही होती है तथा सामग्री जब्त नहीं होता है तबतक आवश्यक वस्तु की धारा–6(ए0) के तहत् अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

उभय पक्ष को सुना। मामले से संबंधित कागजातों का अवलोकन किया। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत कोई मामला दर्ज नही है और किसी नियंत्रण आदेश के उल्लघंन का मामला भी दर्ज नही है।

अतः वर्णित परिस्थिति में जब्त सामग्री के सन्दर्भ में अधिग्रहण वाद नहीं चलाया जा सकता है। इस प्रकार मामलें को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
23/9/14

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
23/9/14